न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर0टी0ए0212 प्रकरण संख्या 2/2019 अनवान मगनलाल पिता नाथजी वगैरा पाडवा बनाम मोहनलाल पिता कचरूलाल जैन वगैरा बनकोडा

दिनांक – 27.2.2019

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण 1 व 2 के विरूद्ध एक वाद न्यायालय में विचाराधीन है जिसका प्रकरण संख्या 35/14 है । वाद की पूर्ण सुनवाई हो चुकी है जिसमें प्रार्थी को पूर्ण सफलता मिलने की संभावना है।

प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने विवादित आराजीयात का निर्णय एवं डिक्री 1.10.1971 को प्रार्थी के पक्ष में पारित की गई थी जिसकी पालना में कब्जा प्राप्त करने लिए प्रार्थी की ओर से ईजराय की कार्यवाही में वारण्ट जारी किया गया था जिसकी पालना में दिनांक 28.10.1971 को सभी खेतों का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द हो गया था।अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी के पक्ष में पारित निर्णय की अपील की गई थी जो विभिन्न न्यायालयों द्वारा खारीज की गई है । राजस्व रेकार्ड में नाम अप्रार्थीगण का दर्ज होंने से कई प्रकार के विवाद उत्पन्न होने तथा प्रार्थीगण को बेदखल करने एंव अन्य किसी को हस्तान्तरित करने की संभावना बनी रहने से यह प्रार्थना पत्र विपक्षीगण को पाबन्द कराने का प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी को यह भी जानकारी में आया है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित भूमि राजस्व रेकार्ड में अंकित होने के कारण विक्रय करने को आमादा है ,विपक्षीगण आयेदिन ग्राहकों को मौके पर लेकर आजा है और जमीन बताता है इस कारण यह प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र की क्रम संख्या 2 में वर्णित भूमि में अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का संबंध नही है ,प्रकरण का निर्णय राजस्व मण्डल में होकर विपक्षीगण की अपील भी निरस्त हो चुकी है ।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के अन्त में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया है कि विपक्षीगण डोली तहसील सागवाडा के खाता संख्या 182 की प्रार्थना पत्र की क्रम संख्या 2 में वर्णित भूमि को किसी भी प्रकार से विक्रय नही करे और अन्य किसी भी प्रकार से किसी अन्य को हस्तान्तरित नही करें और प्रार्थीगण के काश्त में किसी भी प्रकार का

Scanned by CamScanner

व्यवधान उत्पन्न नही करें ओर न ही इस प्रकार का कोई कार्य करें जिससे कि प्रार्थीग्रण के अधिकारो को क्षति पहूँचे ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब प्रस्तुत करने तलब किया गया । अप्रार्थीगण ने दिनांक 26.2.2019 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने अवसर चाहा ।

अप्रार्थीगण द्वारा बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाकर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सूनी गई ।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षीगण को विवादित आराजीयात का विक्रय वाद निस्तारण तक नही किए जाने निवेदन किया गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । विवादित आराजीयात अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है ।इस न्यायालय में उक्त विवादित आराजीयात का वाद विचाराधीन होकर सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण हो प्रकरण निर्णय की स्टेज पर है । विद्वान अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में तर्क किया है कि विवादित आराजीयात का निर्णय पूर्व में राजस्व मण्डल में हो चुका है तथा अप्रार्थीगण की अपील भी खारीज हो चुकी है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वाद के निस्तारण तक विवादित आराजीयात मोजा डोली खाता संख्या 182 का किसी भी प्रकार से विक्रय नही करें और अन्य किसी भी प्रकार से किसी अन्य को हस्तांतरित नही करें ।

आदेश आज दिनांक 27.2.2019 को खूले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो , नम्बर से कम हो ।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner